न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्याः–23 / 2023

दर्ज दिनांक 13.02.2023
निर्णय दिनांक 22.05.2023

कैलाश चन्द्र पुत्र हनुमान उम्र 50 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम राजीवपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

आवेदक

बनाम

1. छीतरमल पुत्र हनुमान उम्र 48 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम राजीवपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयपुरवाटी जरिये शाखा प्रबन्धक
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी।

अनावेदकगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई व्यादेश
निर्णय

दिनांक 22.05.2023

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आश्य का पेश किया है कि उनवानी वादपत्र कैलाश चन्द्र बनाम छीतरमल आदि बाकायदा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दिया है। उक्त दावा बहूत ही मजबूत आधारो पर आधारित है। जिसमें आवेदक को सफलता मिलने की पूरी–पुरी आशा एंव विश्वास है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई व्यादेश का पेश किया कि भूमि नया खाता संख्या 5 के भूमि खसरा न. 100 रकबा 0.01 है0, खसरा न. 107 रकबा 0.02 है0, खसरा न. 109 रकबा 0.05 है0, खसरा न. खसरा न.110 रकबा 0.28 है0, खसरा न. 111 रकबा 0.29 है0, खसरा न. 115 रकबा 0.04 है0, खसरा न. 119 रकबा 1.20 है0, खसरा न. 154 रकबा 0.35 है0, खसरा न. 155 रकबा 0.35 है0, खसरा न. 161 रकबा 0.05 है0, खसरा न. 163 रकबा 0.14 है0, खसरा न. 164 रकबा 0.15 है0, खसरा न. 220 रकबा 0.18 है0, खसरा न. 221 रकबा 0.11 है0, खसरा न. 223 रकबा 0.24 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 3.46 है0 वाके राजीवपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं में अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में आवेदक का हक व हिस्सा 1/2 है तथा अनावेदक संख्या 1 का 1/2 हक वह हिस्सा है। इसी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में उक्त वादग्रस्त भूमि आवेदक व अनावेदक संख्या 1 के नाम से शामलाती में दर्ज रिकॉर्ड है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उपरोक्त हिस्सेनुसार ही मौके पर आवेदक व अनावेदक संख्या 1 अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबित काश्त चले आ रहे हैं। तथा आवेदक अपने हक व हिस्से की भूमि पर आज भी मौके पर काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि का अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। आवेदक अपने हिस्से की भूमि का सुधार कार्य करवाना चाहता है इसके लिए प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का विधिवत बंटवारा करवाने के लिए आवेदक दिनांक 31.01.2023 को अनावेदक संख्या 1 से भूमि का विधिवत बंटवारा करवाने की बात कही, इस पर उक्त अनावेदक सहमत हो गया और 3–4 रोज में तहसील चलकर बंटवारा करवाने की बात आवेदक को कही। लेकिन 3–4 रोज बाद वादी उक्त अनावेदक से दुबारा मिला, तो उक्त अनावेदक आना–कानी करने लगा तथा अब दिनांक 02.02.2023 को उक्त अनावेदक ने उक्त भूमि का बंटवारा करवाने से साफ तौर पर मना कर दिया और आवेदक को धमकी दी कि वह विवादित भूमि का बिना विधिवत बंटवारा करवाये आवेदक को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर उसमें निर्माण करके बैचान कर खुर्द बुर्द करेगा इसलिए आवेदक को प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। चूंकि उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड शामलाती है उक्त अनावेदक संख्या 1 को उक्त विवादित भूमि को बिना विधिवत बंटवारा करवाये रहन बेचान कर खुर्द बुर्द करने व उक्त भूमि में आवेदक को उसके हिस्से की अच्छी भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा का उसमें निर्माण करके रहन व विक्रय करने को आमादा हैं। इससे पूर्व भी अनावेदक संख्या 1 ने उक्त भूमि पर बैंक से ऋण लिया था तब भी उक्त ऋण को आवेदक व अनावदेक संख्या 1 ने ही जमा करवाया था तथा बिना विधिक [illegible] बंटवारा करवाये अनावेदक संख्या 1 को ऐसा करने का किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं है [illegible] अनावेदक संख्या 1 लाठी के बल पर गैर कानूनी रूप से आवेदक को उसके हिस्से की भूमि से [illegible] बेदखल करने व वादी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा निर्माण करने व उक्त भूमि को बिना वि[illegible] बंटवारा करवाने व दी[illegible] व्यक्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:22:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

बेचान करने को आमादा है। इस कारण वादी को अपने अधिकारों की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र जी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है वेदकगण को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि वाके राजीवपुरा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं में अवस्थित है में आवेदक के हिस्से की भूमि पर बलपूर्वक कब्जा नहीं था उक्त भूमि में कोई कच्चा व पक्का निर्माण नहीं करे तथा उक्त भूमि को रहन व बेचान नहीं करें, क के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान नहीं डाले ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे, ना ही धीनस्थ, नौकर, चाकर इत्यादि से करवाये तथा अनावेदकगण को पाबन्द किया जावे कि तादौराने वादग्रस्त भूमि के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

र्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद तामिल हाजिर नही अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई ।

बहस प्रार्थना–पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना में अंकित तथ्यो को दौहराया तथा कथन किया कि कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि में आवेदक व अनावेदक संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा है। दिनांक 02.02.2023 को अनावेदक ने उक्त भूमि का बंटवारा करवाने से साफ तौर पर मना कर दिया तथा बिना विधिवत बंटवारा करवाये आवेदक को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर उसमें निर्माण करके रहन–बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा आवेदक के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने व उक्त भूमि को बिना विधिवत बंटवारा करवाये दीगर व्यक्ति को रहन–बेचान करने को आमादा है। अतः प्रार्थी को अपने अधिकारों की रक्षार्थ हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकुक के संबंध में निर्णय तो दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमाबाजी व विवाद नहीं बढे इसके लिए अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से दावे का निर्णय होने तक पाबन्द किया जाता है कि भूमि नया खाता संख्या 5 के भूमि खसरा न. 100 रकबा 0.01 है0, खसरा न. 107 रकबा 0.02 है0, खसरा न. 109 रकबा 0.05 है0, खसरा न. खसरा न.110 रकबा 0.28 है0, खसरा न. 111 रकबा 0.29 है0, खसरा न. 115 रकबा 0.04 है0, खसरा न. 119 रकबा 1.20 है0, खसरा न. 154 रकबा 0.35 है0, खसरा न. 155 रकबा 0.35 है0, खसरा न. 161 रकबा 0.05 है0, खसरा न. 163 रकबा 0.14 है0, खसरा न. 164 रकबा 0.15 है0, खसरा न. 220 रकबा 0.18 है0, खसरा न. 221 रकबा 0.11 है0, खसरा न. 223 रकबा 0.24 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 3.46 है0 वाके राजीवपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं में आवेदक के हिस्से तक अनावेदकगण मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक को 22.05.2023 को मेरे द्वारा अलग से टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:22:23 IST
Reason: SelfAttested